निदेशक मंडल तथा उसकी विभिन्न समितियों का संघटन और उनके कार्य
(यथा 12 जून, 2023 को)

I. निदेशक-मंडल

1	श्री सिवसुब्रमणियन रमण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबंध निदेशक
3	डॉ. रजनीश	सरकारी निदेशक
4	श्री भूषण कुमार सिन्हा	सरकारी निदेशक
5	श्री के. संपत कुमार	भारतीय स्टेट बैंक के नामिती
6	श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	भारतीय जीवन बीमा निगम के नामिती
7	श्री मनमय मुखर्जी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के नामिती
8	श्री जी. गोपालकृष्ण	सहयोजित निदेशक
9	श्रीमती नूपुर गर्ग	सहयोजित निदेशक
10	श्री अमित टंडन	सहयोजित निदेशक

कार्य

निदेशक-मंडल का कार्य भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कामकाज एवं व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा प्रबंध करना है।

II. कार्यपालक समिति

1. श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2. श्री सुदत्त मंडल
3. श्री के. संपत कुमार
4. श्री जी. गोपालकृष्ण

कार्य

कार्यपालक समिति (ईसी) निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करती है: (i) ऋण एक्सपोजर मानदंडों/प्रत्यायोजन के अनुसार ऋण और निवेश संबंधी प्रस्तावों (विभिन्न सहायता योजनाओं के तहत) का अनुमोदन, (ii) बैंकों/लघु वित्त बैंकों को पुनर्वित्त सहायता जिसमें योजना के तहत निर्धारित छूट योग्य कैप से परे मानदंडों में छूट शामिल है, की मंजूरी (iii) संस्थागत वित्त के तहत बैंकों और एसएफसी को एकबारगी निपटान (ओटीएस), पुनर्संरचना आदि, को मंजूरी (iv) संस्थागत वित्त के तहत एनबीएफसी के संबंध में विनिर्दिष्ट संविभाग के एक्सपोजर और प्रतिभूतिकरण / समनुदेशन के अनुमोदन / मंजूरी के प्रस्ताव, (v) शक्तियों का प्रत्यायोजन के अनुसार मंजूरी के लिए बेंचमार्क मानदंडों, पात्रता मापदंडों और मंजूरी के लिए अन्य मापदंडों में किसी भी छूट से जुड़े प्रस्तावों की मंजूरी और कनेक्टेड लेंडिंग प्रावधानों से जुड़े प्रस्तावों का अनुमोदन करना, (vi) उद्यम पूंजी निवेश समिति की संस्तुति पर सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष के लिए प्रतिबद्धताओं की मंजूरी, (vii) टीसीओ में आरक्षित मूल्य से नीचे इक्विटी हिस्सेदारी का विनिवेश और (viii) कार्यपालक समिति ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो समय-समय पर निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या उसे सौंपे जा सकते हैं।

III. लेखापरीक्षा समिति

1. श्रीमती नूपुर गर्ग, अध्यक्ष
2. श्री सुदत्त मंडल
3. श्री भूषण कुमार सिन्हा
4. श्री के. संपत कुमार
5. श्री कृष्ण सिंह नगन्याल

कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित लेखापरीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार होंगे:

- सिडबी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन करना और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रकटीकरण करना कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
- वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा।
- पर्दाफाश करनेवाला (व्हिसल ब्लोअर) तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
- सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्टों, सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्टों, भा.रि. बैंक निरीक्षण रिपोर्टों और उस पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।
- धोखाधड़ी के मामलों और उस पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना ।
- सूचीबद्धता और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
- लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए संस्तुति करना।
- संबंधित पक्ष लेनदेनों का अनुमोदन/संस्तुति करना।
- अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा करना।
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों/शेयरधारकों और सांविधिक देय राशि के भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई हो, के कारणों की जांच करना।
- निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित अन्य मामले।

IV. जोखिम प्रबंध समिति

1. श्री अमित टंडन, अध्यक्ष
2. श्री सुदत्त मंडल
3. श्री के. संपत कुमार
4. श्री मनमय मुखर्जी

कार्य

जोखिम प्रबंध समिति बैंक के व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों और उनके शमन तथा ऐसे अन्य मामलों का आकलन करेगी, जो बोर्ड द्वारा इसे सौंपे जा सकते हैं। जोखिम प्रबंध समिति की व्यापक भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार करना और अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल को संस्तुति करना।
- जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करना।
- सिडबी द्वारा विशेष रूप से सामना किए गए आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान।
- पहचान किए गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।
- व्यवसाय निरंतरता योजना।
- जोखिम नीतियों और जोखिम ढांचे की आवधिक समीक्षा करें।
- जोखिम पूंजी प्रभार गणना पद्धति (आईसीएएपी) और बैंक की पूंजी पर तत्संबंधी प्रभाव की समीक्षा।
- नए उत्पादों के प्रवर्तन और मौजूदा उत्पादों में संशोधन हेतु अनुमोदन।

V. बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री भूषण कुमार सिन्हा
4 श्री के. संपत कुमार
5 श्रीमती नूपुर गर्ग

कार्य

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति का प्रमुख कार्य रु. 1 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी और समीक्षा करना है, ताकि-

- जिन व्यवस्थागत कमियों के कारण धोखाधड़ी में मदद मिलती है, उनको चिह्नित करके उन्हें दूर करने के उपाय किए जा सकें।
- पता लगाने में यदि कोई विलंब हुआ हो, तो उसके कारणों की पहचान करके बैंक के उच्च प्रबंधन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया जा सके।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/ पुलिस जाँच तथा वसूली की स्थिति की प्रगति की निगरानी हो सके।
- यह सुनिश्चित हो सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ की जबावदेही पर विचार किया गया है और स्टाफ के संबंध में जो भी कार्रवाई अपेक्षित हो, वह बिना समय गँवाए शीघ्रता से पूरी की गई है।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई, जैसे - आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने आदि, की प्रभावशीलता की समीक्षा हो सके।
- धोखाधड़ी के विरुद्ध निवारक उपायों को सुदृढ़ करने हेतु प्रासंगिक समझे गए अन्य उपाय किए जाएँ।

VI. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

1 श्री जी. गोपालकृष्ण, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री अमित टंडन
4 श्री मेकिन माहेश्वरी (बाह्य विशेषज्ञ)
5 श्री राजेश दोशी (बाह्य विशेषज्ञ)
6 श्री पुष्पिन्दर सिंह (बाह्य विशेषज्ञ)

कार्य

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कामकाज, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विज़न, नीति और कार्यनीति को दिशा देती है, ताकि वे व्यवसाय के उद्देश्यों के अनुरूप हो सकें। साथ ही, उक्त समिति बैंक को सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में दीर्घकालिक योजना हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है और सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एवं प्रबंध का पर्यवेक्षण भी करती है। समिति सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए शीर्ष समिति के रूप में भी कार्य करती है और बैंक में सूचना सुरक्षा के संतोषजनक स्तर को बनाए रखने के लिए सूचना सुरक्षा योजना पर रणनीतिक और वित्तीय निर्णय करती है। सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की व्यापक भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी विज़न, रणनीति और सूचना प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेजों का अनुमोदन देना।
- यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
- रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों की निगरानी करना और सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों की स्रोतीकरण और उपयोग के लिए उच्च स्तरीय दिशा प्रदान करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों और नियंत्रणों की निगरानी करना।
- सूचना सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संरचना की स्थापना।
- सुदृढ़ साइबर सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना करना।
- सूचना सुरक्षा के लिए आवश्यक संगठनात्मक प्रक्रियाओं की स्थापना करना और सफल सूचना सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

VII. ग्राहक-सेवा समिति

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री के. संपत कुमार
4 श्री जी. गोपालकृष्ण

कार्य

ग्राहक सेवा समिति बैंक में ग्राहक सेवा की प्रस्थिति की समीक्षा करती है और ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु परामर्श देती है। समिति ग्राहकों की शिकायतों की निगरानी भी करती है और समयानुकूल उनका समाधान करती है।

VIII. वसूली समीक्षा समिति

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री भूषण कुमार सिन्हा
4 श्री जी. गोपालकृष्ण

कार्य

वसूली समीक्षा समिति एसएमए, पुनर्संरचित और उन सभी गैर-निष्पादक आस्तियों की समीक्षा करती है, जिनमें मूलधन की बकाया राशि रु. 5 करोड़ और उससे अधिक है।

IX. इरादतन चूककर्ता एवं गैर-सहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री जी. गोपालकृष्ण
3 श्री अमित टंडन

कार्य

इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ता समिति द्वारा इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधारकर्ता के रूप में चिह्नित करने से संबंधित जो आदेश पारित किए हैं, उनकी समीक्षा की जा सके। यह समिति इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ता संबंधी मामलों और यथावश्यकता उनको इस वर्ग से बाहर ले जाने के संबंध में भी छमाही आधार पर समीक्षा करेगी।

X. उप प्रबंध निदेशक - प्रबंध समिति

1 श्री सुदत्त मंडल, अध्यक्ष
2 श्री के. संपत कुमार
3 श्री कृष्ण सिंह नगन्याल
4 श्रीमती नूपुर गर्ग

कार्य

उप प्रबंध निदेशक - प्रबंध समिति i. समय-समय पर अनुमोदित डीओपी के अनुसार, त्याग की मूल धनराशि को शामिल करते हुए एक-बारगी निपटान (ओटीएस) के अनुमोदन पर विचार करती है। (ii) इरादतन चूक/गैर-सहयोगी/धोखाधड़ी के मामलों के आंशिक निपटान/ओटीएस का अनुमोदन, (iii) डीएमडी-एमसी या उच्चतर समिति (ओं) द्वारा मंजूर ओटीएस मामलों के लिए ओटीएस की सभी योजनाओं के तहत ओटीएस राशि पर ब्याज दर में कमी/ऐसे ब्याज की छूट का अनुमोदन और (iv) समय-समय पर अनुमोदित डीओपी के अनुसरण में बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/एआरसी को बिक्री के लिए आस्तियों की सूची का अनुमोदन।

XI. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

1 श्री भूषण कुमार सिन्हा
2 श्री कृष्ण सिंह नगन्याल
3 श्री जी. गोपालकृष्ण
4 श्रीमती नूपुर गर्ग

कार्य

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य-निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन पर विचार करती है और उसके भुगतान का अनुमोदन करती है। साथ ही, यह समिति सिडबी के निदेशक-मंडल में निदेशक के रूप में सहयोजित किए जाने के लिए अभ्यर्थियों के नामों की संस्तुति भी करती है, ताकि निदेशक-मंडल अपने स्तर पर 'उपयुक्त और उचित' मानदंड के अनुपालन के सत्यापन के बाद उन पर विचार कर सके। इसके अतिरिक्त, समिति निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानदंड तैयार करेगी।

XII. दीर्घकालिक विकासगत लक्ष्य संबंधी समिति

1 श्री अमित टंडन, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री रॉयस्टन ब्रैगेंज़ा (बाह्य विशेषज्ञ)
4 सुश्री रेखा कृष्णन (बाह्य विशेषज्ञ)
5 श्री शंकर वेंकटेश्वरन, (बाह्य विशेषज्ञ)
6 श्री राजेश गुप्ता, (बाह्य विशेषज्ञ)

कार्य

"दीर्घकालिक विकासगत लक्ष्य संबंधी समिति" बैंक में दीर्घकालिक विकास संबंधी लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने हेतु एमएसएमई उद्यमों /हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यनीति तैयार करेगी। यह एसडीजी से संबंधित बैंक की पहलकदमियों की निगरानी और समीक्षा करती है और एसडीजी एजेंडा विशेषतः जलवायु परिवर्तन, कार्बन तटस्थता, दीर्घकालिक स्थिरता आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंक का मार्गदर्शन करती है। यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए उपादेय पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संबंधी दिशानिर्देशों के विकास का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करती है और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

XIII. हितधारक संबंध समिति

1 श्री जी. गोपालकृष्ण, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री के. संपत कुमार
4 श्री कृष्ण सिंह नगन्याल

<u>कार्य</u>

समिति शेयरों के अंतरण/ पारेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए /द्वितीयक प्रमाणपत्र जारी करने, आम बैठकों आदि के संबंध में शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण की जांच करती है। इसके अलावा, समिति शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सिडबी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी करेगी।

*****

Constitution of the Board of Directors and various
Committees of the Board along with their functions

(As on June 12, 2023)

I. BOARD OF DIRECTORS

1	**Shri Sivasubramanian Ramann**	**Chairman & Managing Director**
2	**Shri Sudatta Mandal**	**Deputy Managing Director**
3	**Dr. Rajneesh**	**Government Director**
4	**Shri Bhushan Kumar Sinha**	**Government Director**
5	**Shri K. Sampath Kumar**	**Nominee of State Bank of India**
6	**Shri Krishna Singh Nagnyal**	**Nominee of Life Insurance Corporation of India**
7	**Shri Monomoy Mukherjee**	**Nominee of National Bank for Agriculture & Rural Development**
8	**Shri G. Gopalakrishna**	**Co-opted Director**
9	**Smt. Nupur Garg**	**Co-opted Director**
10	**Shri Amit Tandon**	**Co-opted Director**

Functions

The general superintendence, direction and management of affairs and business of Small Industries Development Bank of India vests in the Board of Directors.

II. EXECUTIVE COMMITTEE

1. **Shri Sivasubramanian Ramann, Chairperson**
2. **Shri Sudatta Mandal**
3. **Shri K. Sampath Kumar**
4. **Shri G. Gopalakrishna**

Functions

The EC considers i. approval of credit and investments related proposals (under various schemes of assistance) as per credit exposure norms/delegation, ii. sanction of refinance assistance to Banks/SFB involving relaxation in norms beyond the relaxable caps prescribed under the scheme, iii. sanctions, OTS, restructuring etc to Banks and SFCs under Institutional Finance, iv. proposals for approval / sanction of exposure and securitization/ assignment of specified portfolio w.r.t NBFCs under Institutional Finance, v. approval of proposals involving any relaxation in benchmark norms

for sanction, eligibility parameters and other parameters for sanction as per DoP and proposals involving Connected Lending provisions, vi. sanction of commitments to SEBI registered Alternative Investment Funds on the recommendation of Venture Capital Investment Committee, vii. disinvestment of equity stake in TCOs below reserve price and viii. the Executive Committee shall discharge such functions as may be prescribed or as may, be delegated to it by the Board from time to time.

III. AUDIT COMMITTEE

1. **Smt. Nupur Garg, Chairperson**
2. **Shri Sudatta Mandal**
3. **Shri Bhushan Kumar Sinha**
4. **Shri K. Sampath Kumar**
5. **Shri Krishna Singh Nagnyal**

Functions

The main functions of Audit Committee, constituted in terms of the RBI guidelines, shall be as under:

- **Overview of the SIDBI financial reporting process and the disclosure to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.**
- **Review of the financial statement and auditor's report thereon.**
- **To review the functioning of the whistle blower mechanism.**
- **Evaluation of internal financial controls and risk management systems.**
- **To review the performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems.**
- **To review internal audit reports, statutory auditors report, RBI inspection report and action taken thereon.**
- **To review cases if any of frauds and action taken thereof.**
- **Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements.**
- **Reviewing and monitoring the auditor’s independence and performance, and effectiveness of audit process.**
- **Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors.**
- **To approve/recommend related party transactions.**

- **Scrutiny of inter-corporate loans and investments.**
- **To look into the reasons for substantial defaults in the payment, if any, to the depositors, debenture holders/shareholders and statutory dues.**
- **Such other matters as may be delegated to it by the Board.**

IV. **RISK MANAGEMENT COMMITTEE**

1. **Shri Amit Tandon, Chairperson**
2. **Shri Sudatta Mandal**
3. **Shri K. Sampath Kumar**
4. **Shri Monomoy Mukherjee**

Functions

The Risk Management Committee shall assess various risks associated with the business of the Bank and their mitigation and such other matters as may be delegated to it by the Board. The broad role of the Risk Management Committee shall include the following:

- **To formulate Risk Management policies and recommend to the Board for approval.**
- **To monitor and oversee implementation of the risk management policy.**
- **identification of internal and external risks specifically faced by SIDBI.**
- **Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.**
- **Business continuity plan.**
- **Carry out periodic review of the risk policies and risk framework.**
- **Review risk capital charge calculation methodology (ICAAP) and impact on Bank's capital.**
- **Approval for roll-out of New Products and modifications in existing Products.**

V. **SPECIAL COMMITTEE TO MONITOR LARGE VALUE FRAUDS**

1. **Shri Sivasubramanian Ramann, Chairperson**
2. **Shri Sudatta Mandal**
3. **Shri Bhushan Kumar Sinha**

4 **Shri K. Sampath Kumar**

5 **Smt. Nupur Garg**

Functions

The major functions of the Special Committee to Monitor Large Value Frauds shall be to monitor and review all frauds of `1 crore and above to:

- Identify systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position.
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

VI. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

1 **Shri G Gopalakrishna, Chairperson**

2 **Shri Sudatta Mandal**

3 **Shri Amit Tandon**

4 **Shri Mekin Maheshwari (External Expert)**

5 **Shri Rajesh Doshi (External Expert)**

6 **Shri Pushpinder Singh (External Expert)**

Functions

Information Technology Strategy Committee gives direction to the Bank's IT function, especially with regard to IT vision, policy and strategy so as to align with business objectives. In addition, the Committee also guides the Bank for IT long term plan and provide oversight of IT implementation and management. The Committee also acts as apex committee for Information and Cyber Security and take strategic and financial decisions on the information security plan to

maintain a satisfactory level of information security in the Bank. The broad role of the Information Technology Strategy Committee shall include the following:

- **Approving IT vision, strategy and IT policy documents.**
- **Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.**
- **Monitoring IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.**
- **Monitoring IT risks and controls.**
- **Establishing structure for implementation of information security programme.**
- **Establishing strong cyber security system and processes.**
- **Establishing necessary organizational processes for information security and providing necessary resources for successful information security.**

VII. CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

1. **Shri Sivasubramanian Ramann, Chairperson**
2. **Shri Sudatta Mandal**
3. **Shri K. Sampath Kumar**
4. **Shri G Gopalakrishna**

Functions

The Customer Service Committee reviews the status of customer service in the Bank and suggest measures to improve quality of customer services. The Committee also monitors the customer grievances and timely resolution thereof.

VIII. RECOVERY REVIEW COMMITTEE

1. **Shri Sivasubramanian Ramann, Chairperson**
2. **Shri Sudatta Mandal**
3. **Shri Bhushan Kumar Sinha**
4. **Shri G. Gopalakrishna**

Functions

The Recovery Review Committee reviews SMA, restructured and NPA cases having principal outstanding of `5 crore and above.

IX. **REVIEW COMMITTEE ON WILFUL**
DEFAULTERS & NON-COOPERATIVE BORROWERS

1 **Shri Sivasubramanian Ramann, Chairperson**
2 **Shri G. Gopalakrishna**
3 **Shri Amit Tandon**

Functions

The Review Committee on Wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers has been constituted to review the orders passed by the Committee for Identification of Wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers identifying cases as wilful defaulters & non-cooperative borrowers. The Committee will also review, on half-yearly basis, cases of wilful default and non-cooperative borrowers and declassification, if any, thereof.

X. **DEPUTY MANAGING DIRECTOR – MANAGEMENT COMMITTEE**

1 **Shri Sudatta Mandal, Chairperson**
2 **Shri K. Sampath Kumar**
3 **Shri Krishna Singh Nagnyal**
4 **Smt. Nupur Garg**

Functions

The Deputy Managing Director – Management Committee considers i. approval of One Time Settlement (OTS) involving principal sacrifice as per DoP approved from time to time, ii. approval of OTS / Part settlement of Wilful default /Non-Cooperative / fraud cases, iii. approval of reduction in rate of interest on OTS amount / waiver of such interest under all schemes of OTS for OTS cases sanctioned by DMD-MC or higher Committee(s) and iv. approval of list of assets for sale to Banks/ FIs/ NBFCs/ ARCs as per DoP approved from time to time.

XI. **NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE**

1 **Shri Bhushan Kumar Sinha**

2 **Shri Krishna Singh Nagnyal**

3 **Shri G. Gopalakrishna**

4 **Smt. Nupur Garg**

Functions

Nomination & Remuneration Committee considers and approves the payment of Performance Linked Incentive to CMD and DMDs of the Bank in terms of the guidelines provided by Government of India. Further, the Committee also recommends the names of candidates for co-option as a Director on the Board of SIDBI for consideration of the Board of Directors after verifying compliance of "fit and proper" criteria by them. Further, the Committee shall formulate criteria for evaluation of performance of the Board of Directors.

XII. **COMMITTEE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

1 **Shri Amit Tandon, Chairperson**

2 **Shri Sudatta Mandal**

3 **Shri Royston Braganza (External Expert)**

4 **Ms. Rekha Krishnan (External Expert)**

5 **Shri Shankar Venkateswaran (External Expert)**

6 **Shri Rajesh Gupta (External Expert)**

Functions

The committee on "Sustainable Development Goals" formulates strategy for the Bank for helping the MSMEs / stake holders achieving SDGs. It monitors and reviews the initiatives of the Bank related to SDG and guide the Bank for effective implementation of SDG agenda particularly climate change, carbon neutrality, sustainability, etc. It guides and supervises development of guidelines for environmental, social, and governance (ESG), relevant for MSME Sector and monitor implementation thereof.

XIII. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE

1 **Shri G. Gopalakrishna, Chairperson**

2 **Shri Sudatta Mandal**

3 **Shri K. Sampath Kumar**

4 **Shri Krishna Singh Nagnyal**

<u>Functions</u>

The Committee looks into the redressal of Shareholders' and Investors' complaints regarding transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc. Further, the Committee shall review measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders and adherence to the service standards adopted by the SIDBI in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.

*****